न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

:: आदेश ::

क्रमांकः– 19/अ–59/2017–18/12289   बैतूल दिनांक 14/11/2017

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, सरपंच ग्राम पंचायत चिखलीकलॉ जनपद पंचायत मुलताई द्वारा ग्राम चिखलीकलॉ में आवासहीन परिवारो को आवासीय पट्टा प्रदान करने के लिए, मौजा चिखलीकलॉ तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 496 रकबा 2.173 हेक्टेयर मद को आबादी घोषित करने का अनुरोध किया गया है।

2– सरपंच ग्राम पंचायत चिखलीकलॉ के उक्त प्रस्ताव के आधार पर नायब तहसीलदार मुलताई (दुनावा वृत्त) द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार पाई गई है:–

(1)– मौजा चिखलीकलॉ तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 496 रकबा 2.173 हेक्टेयर मद घॉस की नोईयत परिवर्तन कर आबादी घोषित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)– दिनांक 23–9–2016 को आयोजित ग्राम सभा में, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जाकर मौजा चिखलीकलॉ स्थित खसरा नंबर 496 रकबा 2.173 हेक्टेयर भूमि का मद परिर्वतन किया जाकर आबादी घोषित करने का निर्णय लिया गया है।

(3)– राजस्व अभिलेख खसरा वर्ष 2015–16 के अनुसार मौजा चिखलीकलॉ तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 496 रकबा 2.173 हेक्टेयर भूमि चरनोई मे दर्ज है, तथा अधिकार अभिलेख वर्ष 1972–73 के अनुसार उक्त खसरा नंबर घॉस मद में दर्ज है।

(4)– ग्राम चिखलीकलॉ का मकबूजा रकबा 1028.647 हेक्टेयर है, तथा ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा 62.851 हेक्टेयर है। ग्राम के मकबूजा रकबा के 2 प्रतिशत से मान से 20.572 हेक्टेयर चरनोई का न्यूनतम रकबा उपलब्ध रहना अनिवार्य है, परन्तु ग्राम में 62.851 हेक्टेयर चरनोई मद की भूमि उपलब्ध है। चरनोई मद की भूमि में से, मद परिवर्तन (आबादी) हेतु प्रस्तावित रकबा कम करने के उपरांत भी ग्राम में, उपलब्ध चरनोई का रकबा न्यूनतम रक्षित रकबे से कम नहीं होगा।

(5)– नायब तहसीलदार मुलताई द्वारा मौजा चिखलीकलॉ तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 496 रकबा 2.173 हेक्टेयर मद चरनोई को आबादी घोषित करने की अनुशंसा सहित प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (रा0) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई द्वारा नायब तहसीलदार मुलताई के मत से सहमत होते उपरोक्तानुसार खसरा नंबर की भूमि का मद परिवर्तन करके आबादी घोषित करने की अनुशंसा सहित प्रकरण इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है।

3– मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–237 (3) के अनुसार चारागाह, घॉस, बीड़ या चारे के लिए आरक्षित की भूमि को उस ग्राम की कुल कृषिक भूमि के न्यूनतम दो प्रतिशत तक सुरक्षित रखने के पश्चात् दखल रहित भूमि को आबादी, सड़को, राजमार्गो, नहरो, तालाबो, अस्पतालो, विद्यालयो, महाविद्यालयो, गौशालाओ, के निर्माण या राज्य शासन द्वारा अन्य किसी जन उपयोगी परियोजनाओ के लिए व्यवपर्तित किया जा सकता है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक– कमांक 1/2011/अधी./10842, दिनांक 8–11–2016 तथा

समसंख्यक आदेश क्रमांकः– 2489 दिनांक 25–2–2017 द्वारा मध्यपदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4– प्रकरण की उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति एवं नायब तहसीलदार मुलताई (दुनावा वृत्त) /अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, मौजा चिखलीकलॉ तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 496 रकबा 2.173 हेक्टेयर मद चरनोई को इस शर्त के अधीन आबादी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि का विधिवत् अभिन्यास स्वीकृत किया जाकर, नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियो को आवासीय पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जाए।

(मूलचन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला–बैतूल.

पृ0क्र0:–19 /अ–59/2017–18/12289-A बैतूल दिनांक 14/11/2017

प्रतिलिपिः–

1– अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई ।

2– नायब तहसीलदार मुलताई (दुनावा वृत्त) ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।

3– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

4– जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

5– सचिव ग्राम पंचायत चिखलीकलॉ जनपद पंचायत मुलताई की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला–बैतूल.